रजिस्ट्री सं. डीएल—33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 2001 (आषाढ़ 2, 1923)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 2001 (ASADHA 2, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक
सहयोगी एवं अनुषंगी समूह

मुंबई, दिनांक 31 मई 2001

सं. एसबीडी.क्र. 3/2001--भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक तथा संबंधित सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने सहयोगी बैंक सेवा विनियमन, 1979 के विनियम 67, 68 तथा 70 में निम्नलिखित संशोधनों को अनुमोदित किया है :--

विनियम 67

इन विनियमों में निहित किन्हीं प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कदाचार कृत्य के लिए या किसी अन्य अच्छे तथा पर्याप्त कार्य के लिए किसी अधिकारी पर निम्नलिखित एक या अधिक दंड लगाए जाएंगे :

हल्के दंड

(क) निन्दा करना;

(ख) संचयी प्रभाव सहित या रहित वेतनवृद्धियां रोक रखना;

(ग) पदोन्नति रोक रखना;

(घ) लापरवाही या आदेश-भंग के कारण बैंक को हुई आर्थिक हानि का पूरा या उसके अंश के वेतन से या उसे देय अन्य रकम में से वसूली;

(ङ) संचयी प्रभाव के बिना और अधिकारी की पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना, वेतनमान को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए निचले स्तर पर रखना;

बड़े दंड

(च) उपर्युक्त (ङ) में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, वेतनमान को तीन वर्ष तक की अवधि के लिए निचले स्तर पर रखना और साथ में यह निर्देश देना कि वेतनमान को निचले स्तर पर रखने की अवधि के दौरान वह अधिकारी वेतनवृद्धियां प्राप्त करेगा या नहीं और क्या यह अवधि समाप्त होने पर यह कटौती उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करेगी या नहीं;

(छ) निचली श्रेणी या पद तक कटौती;

(ज) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(झ) सेवा से बर्खास्तगी;

(ञ) पदच्युति।

नियम 68(1)

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी या उससे उच्च कोई अधिकारी, अधिकारी पर विनियम 67 में कोई दंड लगा सकता है ।

बशर्ते कि जहां अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारियों की उस श्रेणी के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी के पद से कम का है जिससे अधिकारी संबंधित है, विनियम 67 के खंड (घ), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) में निर्दिष्ट कोई भी बड़ा दंड लगाने का आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी की सिफारिश पर नियुक्ति प्राधिकारी या उससे उच्च किसी अन्य प्राधिकारी के सिवाय नहीं दिया जा सकता ।

नियम 68(2)

(i) जब तक इस उप नियम के निबंधनों के अनुसार जांच नहीं की जाती है तब तक विनियम 67 के खंडों (घ), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) में निर्दिष्ट बड़े दंड लगाते हुए कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है ।

नियम 68(3)

(iii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप के सभी या किसी अनुच्छेद पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए इस मत पर पहुंचा है कि विनियम 67 में निर्दिष्ट कोई भी दंड, अधिकारी पर लगाया जा सकता है तो वह, उप विनियम 4 में निहित किसी बात पर ध्यान दिए बिना, ऐसा दंड लगाने के लिए आदेश दे सकता है ।

बशर्ते कि जहां अनुशासनिक प्राधिकारी इस मत पर पहुंचा है कि लगाया जाने वाला दंड विनियम 67 के खंडों (घ), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) में निर्दिष्ट बडे दंडों में से कोई एक है तथा यदि वह उन अधिकारियों की श्रेणी के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के पद से कम का है जिनसे अधिकारी संबंधित है, वह लगाए जाने वाले दंड के संबंध में अपनी सिफारिशों के साथ उप विनियम (2) के खंड xxi (ख) में निर्दिष्ट जांच के अभिलेख नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी ऐसा दंड लगाने का आदेश देगा जो वह अपनी राय में उपयुक्त समझता हो ।

नियम 68(4)

(i) जहां विनियम 67 के खंड (क) से (ड.) में निर्दिष्ट कोई हल्का दंड लगाने का प्रस्ताव है, अधिकारी को उसके विरुद्ध व्यतिक्रम के दोषारोपण की लिखित रूप में सूचना दी जाएगी तथा 15 दिन से अनधिक निर्दिष्ट अवधि के भीतर या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा यथा मंजूर विस्तारित अवधि के भीतर अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा । अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा कथन यदि कुछ है, को आदेश पारित करने के पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार में लिया जाएगा ।

नियम 70(2)

कोई भी अपील उस आदेश के प्राप्त होने के 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जानी होगी जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है । अपील, अपील प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी तथा उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश विरुद्ध अपील किया गया है । अधिकारी, यदि वह चाहता हो अपील प्राधिकारी को अग्रिम प्रति प्रस्तुत कर सकता है । अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या निष्कर्ष न्यायोचित है तथा/या दंड अत्यधिक या अपर्याप्त है तथा उपयुक्त आदेश जारी करेगा । अपील प्राधिकारी दंड की पुष्टि करते हुए, को बढ़ाते हुए, को कम करते हुए, या को अलग करते हुए या मामले को दंड लगाने वाले प्राधिकारी के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे अनुदेशों के साथ जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझें, भेजते हुए आदेश जारी कर सकता है ।

बशर्ते कि :

(i) यदि वर्धित दंड जो अपील प्राधिकारी लगाने का प्रस्ताव करता है, विनियम 67 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) में निर्दिष्ट बड़ा दंड है तथा विनियम 68 के उप विनियम (2) में यथा उपबंधित रूप में जांच मामले में पहले ही नहीं की गई है, अपील प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसी जांच विनियम 68 के उप विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार की जाए तथा उसके बाद जांच के अभिलेखों पर विचार करेगा तथा ऐसे आदेश देगा जो वह उचित समझे ।

(iii) जहां लगाने के लिए प्रस्तावित वर्धित दंड विनियम 67 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) में निर्दिष्ट बड़ा दंड है तथा अपील प्राधिकारी अधिकारियों की उस श्रेणी जिससे अधिकारी संबंधित है, के संबंध में उसी श्रेणी का या नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी से उच्च श्रेणी का नहीं है तो वह अपनी सिफारिशों के साथ कार्यवाहियों का अभिलेख नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी अपील पर ऐसे अंतिम आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझेगा ।

<u>नियम 70(3) का उपबंध (i)</u>

यदि वर्धित दंड, जो समीक्षा प्राधिकारी लगाने का प्रस्ताव करता है, विनियम 67 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) में बड़ा दंड है तथा विनियम 68 के उप विनियम (2) के अधीन यथा उपबंधित रूप में जांच नहीं की गई है, समीक्षा प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसी जांच विनियम 68 के उप विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार की जाए तथा इसके बाद जांच के अभिलेखों पर विचार करेगा तथा ऐसे आदेश देगा जो वह उचित समझे ।

केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार

(डी.पी. रॉय)
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी समूह)

बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय

मुंबई - 400 021. दिनांक 14.05.2001.

सं - आईएल:2000-03: बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (२) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. (१) ये विनियम बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, २००१ कहलाएँगे.

   (२) ये सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.

2. बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 (जिसे यहां इसके बाद उपर्युक्त अधिनियम कहा गया है) में, विनियम 6 में,

   (i) उप विनियम (3) को निम्न उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

   "(3) जहां पर जांच करने का प्रस्ताव किया गया हो, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों के आधार पर निश्चित और स्पष्ट आरोपों की विरचना करेगा और आरोपों संबंधी कथनों, भरोसा किए गए दस्तावेजों की प्रतिलिपियों सहित ऐसे दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों, यदि कोई हों, की सूचियों सहित गवाहों के बयान की प्रति के साथ आरोपों के ब्यौरे, जिस पर ये आधारित हैं, अधिकारी कर्मचारी को सूचित करेगा जिससे यह अपेक्षित होगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि (अधिकतम 15 दिन) अथवा उक्त प्राधिकारी द्वारा विस्तारित अवधि में अपने बचाव का लिखित बयान दे;
   शर्त यह है कि जहां कहीं भी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी इस हेतु निर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिकारी कर्मचारी को दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देगा."

(ii) उप-विनियम (10) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(10) जांच अधिकारी उप विनियम (9) की भांति मामले को स्थगित करते समय, एक आदेश द्वारा रिकार्ड भी करेगा कि अधिकारी कर्मचारी बचाव की तैयारी के प्रयोजनार्थ -

(i) उसे प्रस्तुत सूची के अनुसार दस्तावेजों का निरीक्षण तुरंत और किसी भी स्थिति में ऐसे आदेश की तिथि से 5 दिनों से अनधिक के भीतर पूरा कर लेगा यदि उसने उप विनियम (3) के परन्तुक में व्यवस्थानुसार पहले ऐसा नहीं किया है।

(ii) जाच के लिए अपने द्वारा चाहे गए दस्तावेजों और गवाहों की सूची प्रस्तुत कर सकता है।

(iii) आदेश के दस दिनों अथवा जांच प्राधिकारी द्वारा विस्तारित अवधि जो दस दिनों से ज्यादा नहीं होगी, के भीतर मद(ii) में संदर्भित दस्तावेजों के प्रकटीकरण या प्रस्तुति के लिए नोटिस देगा."

नोट :- संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा मद(ii) में संदर्भित दस्तावेजों और गवाहों के परीक्षण की संगतता सिद्ध करना होगा.

फुट नोट :-मूल विनियमों में संशोधन भारत के राजपत्र में निम्न विवरणानुसार प्रकाशित किए गए थे:-

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	34	19.08.2000
2.	46	15.11.1997
3.	23	25.01.1997
4.	47	23.11.1996
5.	43	22.10.1988

(जे. एस. दलाल)
उपमहाप्रबंधक

दिनांक 12 मई 2001

शुद्धि पत्र

संख्या: औदि:2000-09- बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी (कर्मचारी) सेवा निवृत्ति पश्चात् निजी क्षेत्र के संस्थानों में रोजगार स्वीकारना विनियम 1980 में संशोधन से संबंधित भारत के राजपत्र क्रमांक 6 दिनांक 10.02.2001 के भाग III
खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. औदि: 2000-07 का शुद्धिपत्र।

1. अधिसूचना की तारीख 23.10.2000 पढ़ी जाए।

2. अधिसूचना के हिंदी पाठ में, शीर्षक में, " अधिकारी कर्मचारी" शब्दों के पहले " बैंक ऑफ इंडिया" शब्द जोड़ दिये जाए।

3. पहले पैराग्राफ की पंक्ति 3 में "विनियम 1980" के बाद शब्द "और अधिसूचना संख्या 29 दिनांक 22.07.1995 द्वारा यथा संशोधित" जोड़ दिए जाएं.

4. अधिसूचना के प्रथम पैराग्राफ में वर्णित शब्द " विद्यमान" का लोप किया जाए।

(जे.एस. दलाल)
उप महा प्रबंधक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इण्डिया

पोस्ट बॉक्स नं० 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग,

नई दिल्ली – 110002

दिनांक - 30. 5. 2001

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या : 29-सी०ए०/लॉ/डी-103/2001 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद द्वारा, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा (21)(6)(ग) के अनुसरण में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मामला संख्या 2/2000 में दिनांक 23 जनवरी, 2001 को यह आदेश किया है कि श्री सी० एम० मेहरोत्रा, एफ० सी० ए०, 304-सी, पाकेट-II, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली – 110091 (सदस्यता संख्या 17023) को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 तथा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-II के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 21 के अधीन वृतिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम छह माह की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । तदनुसार, एतद्द्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री सी० एम० मेहरोत्रा का नाम दिनांक 15 जुलाई, 2001 से छह माह की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेण्ट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

(डा० अशोक हल्दिया)
सचिव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)
भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली-110066

दिनांक:
18 MAY 2001

सं0.के.भ.नि.आ.1(4)डी.एल.(1929)/2001 145

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0	कोड नं0	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	डीएल/23787	मै0 रिज्नेबल एडवरटाईजिंग प्रा0लि0. 602, पदमा टॉवर-1, 5, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008.	1.6.2000

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं।

(के0 ए0 द्विवेदी)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

सं0.के.भ.नि.आ.1[4]एस.एस.[1930]/2001 146

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहाँ प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 [1952 का 19] के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एसएस/3118	मै0 चांसलर एन्टरप्राईजिज, नार्थ सराणिया, सिल्पुखुरी, गुवाहाटी-3, [असम]	1.1.97

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा [4] द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

[के0 एन0 द्विवेदी]
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ।

सं0.के.भ.नि.आ.1(4)जी.जे.(1920)/2001 144

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र0सं0.	कोड नं0.	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	जीजे/21537	मै0 जिओस्ट्रक्ट इंजीनियरिंग एण्ड टेस्टींग-सर्विसिज, 8, शहजानन्द को.आ. इंडस्ट्रीयल इस्टेट मुंजमाहुड़ा, पाद्रा रोड़, अपो. कम्पोस्ट प्लांट, बड़ौदा.	1.1.2001
2.	जीजे/40438	मै0 दयासागर चेरीटेबल ट्रस्ट, प्लॉट नं0. 243, वार्ड-12/बी, गांधीधाम-370201, कच्छ-गुजरात।	1.4.99

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

(के0स0 द्विवेदी)
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

14, भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली-110066

दिनांक : 24 MAY 2001

सा० का०.............................चैंकि मै०. आनन्द रबड़ एण्ड साईकिल इन्डस्ट्रीज, ...
.सुल्तानपुर रोड, कपूरथला, पंजाब (कोड नं. पी. एन.-805).............................

को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 2 (क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद छूट प्रदान की गई है ।

और नियोक्ता ने..30..1.1..97...... तक कि मास्टर पॉलिसी पुन: नवीनिकरण करा लिया है और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु वापिस कर दिया है ।

उपरोक्त को देखते हुए मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त..1..12..97...से छूट रद्द करता हूँ

(के. ए. द्विवेदी)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,

रक्षा मंत्रालय
छावनी परिषद, इलाहाबाद
इलाहाबाद दिनांक 2001

का. नि. आ. आर-45/3/ इलाहाबाद छावनी में सीवर संयोजन उप-विधियों के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना का प्रारूप छावनी बोर्ड की सूचना सं. आर-45/3/265 दिनांक 30.9.2000 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और उक्त सूचना की प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने तक उस पर आक्षेप व सुझाव मांगे गए थे ।

और उक्त सूचना दिनांक 30.9.2000 को छावनी परिषद के सूचना पट पर लगाई गई थी

और निर्धारित अवधि तक उपरोक्त उप-विधियों पर जनता से कोई भी आक्षेप व सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।

और केन्द्रीय सरकार उपरोक्त प्रारूप उप-विधियों को छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की उपधारा (1) की धारा 284 की अपेक्षानुसार पूर्ण रूप से अनुमोदित एवं सुनिश्चित कर दिया है ।

अतः छावनी परिषद इलाहाबाद उक्त अधिनियम की धारा 282 एवं 284 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति सहित इलाहाबाद छावनी में सीवर संयोजन हेतु निम्नलिखित उप-विधियां बनाता है ।

"उप-विधियाँ" (संलग्न है)

छावनी अधिशासी अधिकारी
इलाहाबाद छावनी

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ

(I) यह बाइलाज़ इलाहाबाद छावनी सीवर व्यवस्था बाइलाज़ 2001 कहलायेगा ।

(II) इसका विस्तार जिस क्षेत्र में इलाहाबाद छावनी परिषद द्वारा सीवरेज ड्रेन की व्यवस्था रहेगी लागू होगा ।

(III) यह ऐसे तिथि से लागू होगा जिस दिन से सरकारी गजट में अधिसूचित होगा ।

2. परिभाषायें इन उपविधियों का उद्देश्य :-

(क) "सीवेज" का तात्पर्य विष्ठा या नाबदानों, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, मल कूपों अथवा नालियों की अन्य अन्तर्वस्तुओं, हौदी, स्नानगार, अस्तबल, पशुशाला तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों से दूषित जल से है और इसके अन्तर्गत व्यापारिक व्यर्थ द्रव पदार्थ भी है ।

(ख) "सीवर" का तात्पर्य सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, उच्छिष्ट जल अथवा अप भूमि जल बहा ले जाने के लिए बन्द वाहक नाला से है ।

(ग) "सीवर व्यवस्था" का तात्पर्य किसी समुदाय के गृहों, संस्थाओं, उद्योग तथा सार्वजनिक स्थानों से उच्छिष्ट जल एकत्र करने और ऐसे उच्छिष्ट जल, व्यर्थ द्रव प्रदार्थ, अवमल, गैस और अन्य अन्तोत्पत्ति को पम्प करके निकालने शोधन करने और निस्तारण करने से है ।

(घ) "मलकूप" के अन्तर्गत कोई ऐसी तलछट टंकी या अन्य टंकी भी है जो किसी भू-गृहादि से निकलने वाले दूषित पदार्थ को ग्रहण करने या उसके निस्तारण के लिए हो ।

(ङ•) "संचारण पाइप" का तात्पर्य किसी पाइप का समस्त फिटिंग सहित ऐसे पाइप तंत्र से है जिसके द्वारा प्रनाड (मन) से किसी भू-गृहादि को जल सम्भरित किया जाता हो और इसके अन्तर्गत संयोजन पाइप, सेवा पाइप, मीटर या अन्य फिटिंग भी है ।

(च) "उपभोक्ता" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे यथास्थिति छावनी परिषद इलाहाबाद सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं का लाभ मिलता हो ।

(छ) "घरेलू" सीवेज" का तात्पर्य निवास स्थानों, बोर्डिंग तथा लाजिंग हाउसों, छात्रावासों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों से जो किसी व्यापार या उद्योग के भाग न हों, निकलने वाले और व्यक्तिक तथा सामान्य मानक कार्य-कलापों से जैसे पानी पीने, नहाने, प्रक्षालन, धोने तथा खाना पकाने से उत्पन्न उच्छिष्ट जल से है ।

§ज§ "नाली" के अन्तर्गत मल नाला, सुरंग, पाइप खाई §डिच§ मल नाली §गटर§ या जल कुल्या§चैनल§ अथवा जल कुन्ड§सिस्टर्न§ फ्लश टंकी, मल टंकी §सेप्टिक टैंक§ अथवा कोई अन्य युक्ति जो सीवेज, दुर्गन्धित पदार्थ, दूषित जल, कूड़ा करकट, उच्छिष्ट जल या अधभूमि जल को बहा ले जाने अथवा शोधन के लिए हो तथा इसके अन्तर्गत कोई पुलिया, संवातन नाल या पाइप अथवा अन्य उपकरण या फिटिंग, जो ऐसे नाली से जुड़ी हो और कोई निष्कासक§इजेक्टर§ संदावित वायु प्रनाड, मुहरबंद सीवेज प्रनाड और कोई विशेष मशीनरी अथवा साधित्र भी है, जो किसी स्थान से सीवेज या दुर्गन्धित पदार्थ को उठाने, एकत्र करने, निकालने या हटाने के लिए हो ।

3. इलाहाबाद छावनी में सीवर कनेक्शन हेतु उपविधियां§बाइलाज§

§1§ किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी छावनी परिषद इलाहाबाद से सीवर संयोजन लेने का हकदार होगा ।

§2§ गृहादि का स्वामी या अध्यासी सीवर संयोजन हेतु लिखित आवेदन पत्र छावनी अधिशासी अधिकारी, इलाहाबाद को प्रारूप नमूना जो परिशिष्ट "अ" में दर्शाया है के अनुरूप करेगा ।

§3§ सीवर संयोजन छावनी परिषद द्वारा निर्धारित दर पर अग्रिम भुगतान करने पर दिया जायेगा जिसका दर छावनी परिषद द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है ।

(4) छावनी परिषद इलाहाबाद क्षेत्र जहां सीवरेज व्यवस्था है वहां सेप्टिक टैंक, सोक पेल अथवा सेस पुल्स की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) यदि छावनी परिषद की राय में किसी भू-गृहादि में सीवेज के प्रभावकारी निस्तारण के लिए पर्याप्त साधन नहीं है और छावनी परिषद का सीवर भू-गृहादि के किसी भाग से पचास मीटर की दूरी पर स्थित है तो छावनी परिषद लिखित नोटिस द्वारा, उक्त भू-गृहादि के स्वामी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार सीवर संयोजन करा लें। 10

(6) कोई व्यक्ति छावनी परिषद की अनुज्ञा के बिना, छावनी परिषद के किसी सीवर से कोई संयोजन या संचार न तो करेगा और न करायेगा।

(7) कोई व्यक्ति छावनी परिषद के अनुज्ञा के बिना छावनी परिषद के किसी सीवर के ऊपर कोई भवन या अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा।

(8) यदि सीवर या मल कूप दोषपूर्ण पाया जाय तो छावनी परिषद शीघ्र ही उसका काम करना रोक सकता है या उसे छावनी परिषद के सीवर से वियंयोजित कर सकता है या स्वामी अथवा अध्यासी से ऐसी प्रतिकारी कार्यवाही जैसा कि छावनी परिषद द्वारा निर्देशित की जाय ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, करने की अपेक्षा कर सकता है और किसी ऐसी दशा में छावनी परिषद द्वारा किया गया व्यय, यथास्थिति, स्वामी या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

(9) कोई व्यक्ति छावनी परिषद के प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को जान-बूझ कर न तो किसी निर्माण कार्य के लिए निशान बन्दी करने से रोकेगा न ऐसे कार्य के संबंध में उक्त प्रयोजन के लिए किए गए किसी निर्माण को विरूपित या नष्ट करेगा ।

(10) कोई व्यक्ति जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक किसी ताले, वाल्व पाइप या अन्य कार्य या साधित्र को जो छावनी परिषद के हों तथा उसके कृत्यों से सम्बद्ध हों न तो तोड़ेगा न तो क्षति पहुंचायेगा न मोड़ेगा, न खोलेगा न बन्द करेगा, न हटायेगा और न ही अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा ।

(11) कोई व्यक्ति छावनी परिषद के किसी ऐसे सीवेज संबंधी कार्य के बहाव में विधि विरुद्धतया न तो बाधा डालेगा न उससे पानी बहायेगा, न अन्यत्र ले जायेगा ।

(12) कोई व्यक्ति छावनी परिषद के किसी कर्मचारी द्वारा उसके कर्तव्यों के पालन में न तो बाधा डालेगा और न उसे तद्धीन किसी सीवेज संबंधी कार्य के संबंध में कोई प्रविष्ट, निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए आवश्यक साधनों को प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा और न जानबूझ कर उपेक्षा करेगा

4. प्रवेश सर्वेक्षण आदि करने की शक्ति

(1) छावनी परिषद का कोई कर्मचारी जो छावनी अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना किसी भू-गृहादि में या उस पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकता है ।

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, मापन, मूल्यांकन या जांच करने

(ख) तलह मालूम करने

(ग) अवभूमि खोदने या बेधने

(घ) सीमाओं तथा निर्माण कार्य की अभिप्रेत रेखाओं को नियत करने, चिन्ह बनाकर या खाइयां काटकर ऐसे तलहों, सीमाओं और रेखाओं को चिन्हित करने अथवा

(ङ) कोई अन्य कार्य करने जो इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो :-

परन्तुक यह है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी भवन में इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायेगा। किसी निवास गृह या स्थान में उसके अधिभोगी व्यक्ति को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय की कम से कम चौबीस घंटे की सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं किया जायेगा।

शास्ति

कोई भी व्यक्ति जो इस बाबत में बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करता है प्राधिकृत न्यायालय/मजिस्ट्रेट द्वारा उसे जुर्माने कर जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और अतिरिक्त जुर्माने कर जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात ऐसा उल्लंघन या चूक जारी रहे पचास रुपये तक हो सकता है दण्ड दिया जायेगा।

छावनी अधिशासी अधिकारी, इलाहाबाद

इलाहाबाद छावनी में सीवर संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र

P.B.

सेवा में,

छावनी अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद
इलाहाबाद

प्रस्तुतकर्ता का नाम : -- -- - --- ---
पता :-- -- ---- - - - ---------

जिनके हस्ताक्षर नीचे है निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार व स्थान पर आपसे सीवर संयोजन लगवाने हेतु आज्ञा की प्रार्थना करता है/करते है। मैं/हम यह कार्य श्री/मैसर्स -- ---- -- -- से कराना चाहते हैं/चाहता हूँ जो कि जल संस्थान/छावनी परिषद इलाहाबाद के लाइसेन्स प्राप्त हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

-- --------- --- -- -- -- --- -- -- ----

मकान नं. -- -- - - --- मुहल्ला का नाम

मकान का वार्षिक मूल्यांकन -------- रुपया है।

प्रस्तावित कार्य विवरण तथा उसके नक्शों का ब्यौरा :-

1. ड्रेन पाइप
2. एस. डब्लू. पाइप
3. मास्टर टेप
4. मेनहोल (मेनहोल कवर सहित)
5. सीट कम्प्लीट (पायदान सहित)
6. सिस्टर्न
7. गैस पाइप (केविल बेण्ड)

स्वीकृत हेतु अनुशंसा की जाती है।

अवर अभियंता
छावनी परिषद, इलाहाबाद

उपरोक्त सामान्तों के साथ स्वीकृत प्रदान की जाती है।

छावनी अधिशासी अधिकारी,
इलाहाबाद

STATE BANK OF INDIA

ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

MUMBAI Date : May 31, 2001

SBD.No. 3 /2001

In exercise of the powers under Sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the concerned Associate Banks, the State Bank of India has approved the undernoted amendments to Regulation No. 67, 68 & 70 of Associate Banks' Officers' Service Regulations, 1979 :-

Regulation No. 67

Without prejudice to any other provisions contained in these regulations any one or more of the following penalties may be imposed on any officer, for an act of misconduct or for any other good and sufficient reason :-

Minor Penalties

a) Censure

b) Withholding of increments of pay with or without cumulative effect;

c) Withholding of promotion;

d) Recovery from pay or such other amount as may be due to him of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank by negligence or breach of orders.

e) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting the officer's pension.

Major Penalties

f) Save as provided for in (e) above, reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

g) Reduction to a lower grade or post;

h) Compulsory retirement;

i) Removal from service;

j) Dismissal.

Rule 68(1)

ii) The Disciplinary Authority or any authority higher than it may impose any of the penalties in regulation 67 on an officer.

Provided that where the Disciplinary Authority is lower in rank than the Appointing Authority in respect of the category of officers to which the officer belongs, no order imposing any of the major penalties specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 67, shall be made except by the Appointing Authority or any authority higher than it on the recommendations of the Disciplinary Authority.

Rule 68(2)

i) No order imposing any of the major penalties specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 67 shall be made except after an inquiry is held in accordance with this sub-regulation.

Rule 68(3)

iii) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in regulation 67 should be imposed on the officer, it shall, notwithstanding anything contained in sub-regulation (4), make an order imposing such penalty.

Provided that where the Disciplinary Authority is of the opinion that the penalty to be imposed is any of the major penalties specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 67 and if it is lower in rank to the Appointing Authority in respect of the category of officers to which the officer belongs, it shall submit to the Appointing Authority the records of the enquiry specified in clause (xxi)(b) of sub-regulation (2), together with its recommendations regarding the penalty that may be imposed and the Appointing Authority shall make an order imposing such penalty as it considers in its opinion appropriate.

Rule 68(4)

i) Where it is proposed to impose any of the minor penalties specified in clauses (a) to (e) of regulation 67 the officer shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and be given an opportunity to submit his written statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended period as may be granted by the Disciplinary Authority. The defence statement, if any, submitted by the officer shall be taken into consideration by the Disciplinary Authority before passing orders.

Rule 70(2)

An appeal shall be preferred within 45 days from the date of receipt of the order appealed against. The appeal shall be addressed to the Appellate Authority and submitted to the authority whose order is appealed against. The officer may, if he so desires, submit an advance copy to the Appellate Authority. The Appellate Authority shall consider whether the findings are justified and/or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it deems fit in the circumstances of the case.

Provided that :

i) If the enhanced penalty which the Appellate Authority proposes to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 67 and an enquiry as provided in sub-regulation (2) of regulation 68 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of sub-regulation (2) of regulation 68 and thereafter consider the records of the inquiry and pass such orders as it may deem proper :

iii) Where the enhanced penalty proposed to be imposed is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 67 and the Appellate Authority is not of the same rank as or higher than the Appointing Authority in respect of the category of the officers to which the officer belongs, it shall submit to the Appointing Authority the record of the proceedings together with its recommendations and the Appointing Authority shall pass such final order on the appeal as it may deem appropriate.

Proviso (i) to Rule 70(3)

If the enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 67 and an enquiry as provided under sub-regulation (2) of regulation 68 has not already been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of sub-regulation (2) of regulation 68 and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper.

By the Order of the Central Board

(D.P. Roy)
Dy. Managing Director &
Group Executive (A&S Group)

srp/bjs/notification.

BANK OF INDIA

HEAD OFFICE

Mumbai - 400 021. Date : 14.05.2001.

No. IL:2000-3. In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of the Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 (hereinafter referred to as the said regulation), in regulation 6, -

(i) for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authority shall, frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the officer employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations, list of documents relied on along with copy of such documents and list of witnesses along with copy of statement of witnesses, if any, on which they are based, shall be communicated in writing to the officer employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Disciplinary Authority (not exceeding 15 days), or within such extended time as may be granted by the said Authority, a written statement of his defence;

Provided that wherever it is not possible to furnish the copies of documents, disciplinary authority shall allow the officer employee inspection of such documents within a time specified in this behalf."

(ii) for sub-regulation (10), the following shall be substituted, namely:-

"(10) The Inquiring Authority while adjourning the case as in sub-regulation (9), shall also record by an order that the officer employee may for the purpose of preparing defence –

(i) complete inspection of the documents as in the list furnished to him immediately and in any case not exceeding 5 days from the date of such order if he had not done so earlier as provided for in the proviso to sub-regulation (3);

(ii) submit a list of documents and witnesses, that he wants for the inquiry;

(iii) give notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow for the discovery or production of the documents referred to in item (ii).

Note : The relevancy of the documents and the examination of the witnesses referred to in item (ii) shall be given by the officer employee concerned."

Foot Note: The amendments to the Principal Regulations were published in the Gazette of India as per details given below:-

S.No.	Notification No.	Dated
01.	34	19.08.2000
02.	46	15.11.1997
03.	23	25.01.1997
04.	47	23.11.1996
05.	43	22.10.1988

(J.S. Dalal)
Deputy General Manager

Dated the May 12, 2001

CORRIGENDUM

No. IL:2000-09 - Corrigendum to the Notification No IL 2000-07 published in Part III Section 4 of the Gazette of India No. 6 dated 10.02 2001, pertaining to the amendment to Bank of India Officer (Employees') Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns After Retirement Regulations, 1980.

1. The date of the Notification is to be read as 23 10 2000.

2. In the Hindi version of the Notification, in the title, before the words - "अधिकारी कर्मचारी", the words "बैंक ऑफ़ इंडिया" shall stand inserted.

3. The words - "and as amended vide Notification No 29 dated 22 07 1995" shall stand inserted between the words - "Regulations, 1980" and the vord 'the Board" in the fourth line of the first paragraph.

4. The word "existing", appearing in the first paragraph of the Notification shall stand deleted.

(J. S. Dalal)
Deputy General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
P.B. NO.7100, I.P. MARG

NEW DELHI 110 002 Dated: 30/5/2001

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-103/2001: In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountants case No.2/2000, ordered on 23rd January, 2001 that the name of Shri C.M. Mehrotra, FCA, 304-C, Pocket-II, Mayur Vihar, Phase I, Delhi 110 091 (M.No.17023) be removed from the Register of Members for a period of six months for having been found guilty of professional misconduct under Section 21 read with Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949 and clause (i) of Part II of the Second Schedule to the Act. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri C.M. Mehrotra shall stand removed from the Register of Members for a period of six months w.e.f. 15th July, 2001. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

(Dr. Ashok Haldia)
Secretary

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (CENTRAL OFFICE)
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAJI CAMA PLACE,

****

NOTIFICATION

18 MAY 2001

NEW DELHI-110066. Dated

No. C.P.F.C. 1(4)DL(1929)2001/145 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	DL/23787	M/s. Reasonable Advertising Pvt. Ltd; 602, Padma Tower-1, 5, Rajendra Place, New Delhi-110008.	1-6-2000

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishment.

(K.A. DWIVEDI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

No. C.P.F.C. 1(4)AS(1930)/2001/146 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely:-

S.No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage.
1.	AS/3118	M/s. Chancellor Enterprise, North Sarania, Silpukhuri, Guwahati-3 (Assam).	1-1-97

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1(4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act, to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name ch of the said establishment.

(K.A. DWIVEDI)
REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER.

NO. C.P.F.C. 1(4)GJ(1920)/2001/144 Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely: -

S.No.	Code No.	Name & address of the establishment	Dated of Coverage.
1.	GJ/21537	M/s Geostruct Engineering & Testing Services 8, Sahajanand Co-op. Industrial Estate Munjmahuda, Padra Raod, Opp. Compost Plant, Baroda	1 1 2001
2.	GJ/40438	M/s Dayasagar Charitable Trust Plot no.243, Ward-12/B Gandhidham – 370201, Kutch- Gujrat	1.4.99

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of the said Act Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of the said establishment

(K.A. Diwedi)
Regional Provident Fund Commissioner

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)
HUDCO VISHALA, 14, BHIKAJI CAMA PLACE,
NEW DELHI-66. Dated: 24 MAY 2001

S.O. ....Whereas M/s. Anand Rubber And Cycle Industries, Sultan Pur Road, Kapurthala, Punjab (Code No.PN/805) code No. ________ has been granted extension/exemption under Section 17(2A) of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the employer renewed the master policy upto 30.11.97 ________ and reverted back to implementing statutory E.D.L.I. Scheme.w.e.f. 1.12.97.

In view of the above I C.P.F.C. cancelled the above said w.e.f. 1.12.97.

(K.A. DIWEDI)
Regional Provident Fund Commissioner.

Ministry of Defence

CANTONMENT BOARD, ALLAHABAD

Allahabad, the 2001.

S.R.O. R-45/3. - Whereas a draft public notice regarding bye-laws for regulating sewerage connection in Allahabad Cantonment was published vide Cantonment Board Notice No.R-45/3/265 dated 30.09.2000, for inviting objections and suggestions till the expiry of a period of thirty days from the publication of the said notice;

And whereas, the said notice was put on the Notice Board of the Allahabad Cantonment on 30-09-2000;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public in respect of the said draft bye-laws within the stipulated time;

And whereas, the Central Government have duly approved and confirmed the said draft bye-laws as required by sub-section (1) of section 284 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 282 and 284 of the said Act, the Cantonment Board, Allahabad, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following bye-laws for regulating sewerage connection in Allahabad Cantonment, namely :-

"Bye-laws " (attached).

CANTT. EXECUTIVE OFFICER
ALLAHABAD CANTONMENT

1. **Short Title and Commencement** -

(1) These bye-laws may be called the Allahabad Cantonment Sewerage (Regulation of connection) bye-laws, 2001.

(2) These shall be applicable to the area in which a sewerage drain has been provided by the Cantonment Board.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** -

For the purposes of these bye laws, -

(a) "sewage" means night soil and other contents of water closets, latrines, privies, urinals, cess-pools or drains and polluted water from sinks, bath rooms, stables and other like places and includes trade effluent;

(b) "sewer" means a closed conduit for carrying sewage, offensive matter, polluted water, waste water of sub-soil water;

(c) "sewerage" means a system of collection of waste water from a community from its houses, institutions, industry and public places, the pumping treatment and disposal of such waste water, its effluent sullage, gas and other end products;

(d) "cess pool" includes a settlement tank or other tank to receive or dispose of foul matters from any premises;

(e) "communication pipe" means any pipe or system of pipes alongwith all fittings thereto, by means of which water is supplied to any premises from the main and includes a connection pipe, service pipe meter or other fittings;

(f) "consumer" means any person getting the benefits of sewerage services from the Cantonment Board, Allahabad;

(g) "domestic sewage" means waste water from residence, boarding and lodging houses, hostel, public places, offices and all such establishments, as are not a part of any trade or industry, arising out of personal and normal human activities, such as, drinking, bathing, ablution, washing and cooking;

(h) "drain" includes a sewer, tunnel pipe, ditch, gutter or channel or a cistern, flush tank, septic tank or other device for carrying off or treating sewage offensive matter, polluted water, sullage wasted water of sub-oil water and also includes any culvert, ventilation shaft or pipe or other appliance or fittings connected with such drain and any rejectors, compressed over mains, sealed sewage mains and special machinary or apparatus for raising, collecting, expelling or removing sewage or offensive matter from any place.

3. **Bye-Laws for regulating sewer connection in Allahabad Cantonment -**

(1) The owner or occupier of any premises shall be entitled to obtain sewer connection from the Cantonment Board, Allahabad.

(2) The owner or the occupier shall make a written application in the formet given in the Annexure for this purpose to the Cantonment Executive Officer, Allahabad Cantonment.

(3) The sewer connection shall be given on payment in advance such charges and fees as fixed by the Cantonment Board which may be increased from time to time by the Cantonment Board.

(4) No septic tank, soak well or cess-pools shall be allowed in the Cantonment area where sewerage system has been provided by the Cantonment Board, Allahabad.

(5) Where any premises are, in the opinion of Cantonment Board, without sufficient means of effectual disposal of sewage, and the sewer of the Cantonment Board is situated at a distance of fifty meters from any part of the premises, the Cantonment Board may by written notice, require the owner of the said premises to have sewer conections as provided in the bye-laws.

(6) No person shall without the permission of the Cantonment Board make or cause to make any connection or communication with any sewer of the Cantonment Board.

(7) No person shall without the permission of the Cantonment Board construct any building or other structure over any sewer of the Cantonment Board.

(8) If the sewer or cess-pool is found to be defective, the Cantonment Board may forthwith stop its use or disconnect it from the sewer of the Cantonment Board or require the owner or occupier to take remedial action, as directed within the time specified by the Cantonment Board, and in any such event the Cantonment Board may recover the cost incurred by it from the owner or occupier, as the case may be.

(9) No person shall obstruct any person acting under the authority of the Cantonment Board for the purpose of setting out lines of such work or deface or destroy any works made for the said purpose.

(10) No person shall wilfully or negligently break, injure, turn on, open or close or otherwise interfere with any lock valve, pipe or other works or apparatus belonging to the Cantonment Board in this regard.

(11) No person shall obstruct the flow of or flush off or divert sewage from any work belonging to the

(12) No person shall obstruct any employee of the Cantonment Board in discharge of his duties in this regard or refuse or wilfully neglect to furnish him with the means necessary for the making of any entry, inspection or enquiry thereunder in relation to any sewage works.

4. **Power of entry, survey etc. -**

(1) Any employee of the Cantonment Board authorised by the Cantonment Executive Officer in that behalf by specific or general order may with or without assistants enter into or upon any premises in order :

(a) to make any inspection, survey, measurement, valuation or inquiry;

(b) to take level;

(c) to dig or bore into the sub-soil;

(d) to set out boundaries, an intended line or work;

(e) to make such levels, boundaries and lines by placing marks and cutting trenches; or

(f) to do any other thing necessary for the purposes of this bye-law provided that -

no such entry into a building shall be made between sun-set and sun-rise; and

no dwelling house or place shall be so entered except with the consent of the occupier thereof; or without giving the occupier at least twenty four hours notice of the intention to make such an entry.

5. **Penalty**

Any person, who contravenes any of the provisions of these bye-laws, shall on conviction by the competent Court or the Magistrate, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, and in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention.

CANTT. EXECUTIVE OFFICER
ALLAHABAD

(File No.12/2/C/DE/99)

APPLICATION FOR SEWER CONNECTION IN ALLAHABAD CANTT.

To,

The Cantt. Executive Officer
Cantonment Board
Allahabad

Presented by :- .. . .

. . . .

Address :- . . . .

I/We hereby apply for New Sewer Connection as per particular given below. I/We want to execute this work by Shri/M/S . . . . who is licence holder from Jal Sansthan/Cantt. Board.

Signature of Applicant

- -

House No. . . . . name of locality

Annual assessment of House is Rs.. . . . .

The particulars of proposes work alongwith map :-

1. Drain pipe
2. S.W. pipe
3. Master Tap
4. Main hole (Main hole alongwith cover)
5. Complete Seat
6. Sistern
7. Gas pipe (alongwith cable bend)

Recommended for sanction.

Junior Engineer
Cantt. Board, Allahabad

Sanction is hereby accorded alongwith above articles.

Cantt. Executive Officer
Allahabad

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2001
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2001